

2020/2021

छात्र वित्तीय सहायता योजनाओं
के लिए घरेलू आवेदन



Student Finance Office
Working Family and Student Financial Assistance Agency

(Hindi)

“छात्र वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए घरेलू आवेदन फॉर्म” एक परिवार-आधारित फॉर्म है जो छात्र वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने हेतु प्राइमरी और सैकेंडरी स्कूल(लों) या किंडरगार्टन / बाल देखभाल केंद्र(द्रों) में जाने वाले बच्चे(चों) के परिवारों को सुविधा प्रदान करता है।

पात्रता मानदंड

- (i) आवेदकों को आप संबंधी जांच में पास होना चाहिए और (अल्पव्यस्क अभिभावकता अध्यादेश, कप 13 के तहत यथा मातृ) छात्र-आवेदकों का माता-पिता या अभिभावक होना चाहिए। अन्यथा, आवेदकों को प्रमाण के साथ विवरण देना चाहिए कि इस आवेदन पत्र में स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है;
- (ii) छात्र-आवेदक हांगकांग के अविवाहित निवासी होने चाहिए और उनके पास हांगकांग से आवास का अधिकार, भूमि का अधिकार या बिना शर्त रहने (रहने की सीमा के अलावा) की वंश अनुमति होनी चाहिए। यात्री वीजाधारी, दिगामी विकास अनुमति, केवल छात्र वीजा या छात्र-वीजा/यात्री-वीजाधारकों पर आश्रित लोग छात्र वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं;
- (iii) जो छात्र-आवेदक नर्सरी या किंडरगार्टन (K1 से K3) की निम्न और उच्च कक्षाओं में हैं, उन्हें -
 - 31 अगस्त 2020 को उनकी आयु कम-से-कम 2 वर्ष और 8 माह होनी चाहिए (अर्थात् उनका जन्म 31 दिसंबर 2017 को या इससे पूर्व का होना चाहिए); और
 - वे शिक्षा ब्यूरो (EDB) के साथ पंजीकृत नर्सरी, निम्न और उच्च (K1 से K3) किंडरगार्टन की कक्षाओं में जाने वाले हो चाहिए। किंडरगार्टन अलाभकारी किंडरगार्टन होना चाहिए, और उसे किंडरगार्टन शिक्षा योजना के अंतर्गत स्थानीय पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए।
- (iv) बाल देखरेख केंद्रों (आयु वर्ग 0-2 और बाल देखभाल केंद्रों (आयु वर्ग 2-3) में जाने वाले छात्र-आवेदकों के लिए, उन्हें) -
 - समाज कल्याण विभाग (SWD) के साथ पंजीकृत बाल देखभाल केंद्रों (दिन के शिशुसदन, दिन की नर्सरी या किंडरगार्टन-सह-बाल देखभाल केंद्रों में संबंधित आयु वर्ग) में पूरे दिन देखभाल सेवाएं मिलनी चाहिए; और
 - फीस की छूट के लिए खुद को अर्हक करने के प्रयोजन से उसी आंकलन अवधि में साधन परीक्षा तथा “सामाजिक आवश्यकताएं” जांच पास करनी चाहिए; और
- (v) छात्र-आवेदक जिन स्कूलों में जा रहे हैं, वे स्कूल निम्न योजनाओं में यथा निर्धारित श्रेणी से संबंधित होने चाहिए:

वित्तीय सहायता योजनाएं

- **किंडरगार्टन और बाल देखभाल केंद्र फीस छूट (KCFR) योजना** जरूरतमंद माता-पिता को किंडरगार्टन शिक्षा के तहत स्थानीय अलाभकारी किंडरगार्टन में नर्सरी, निम्न तथा उच्च कक्षाओं में जाने वाले उनके बच्चों और/या बाल देखभाल केंद्रों में पूरे दिन बाल देखभाल सेवाएं प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए फीस छूट के रूप में सहायता प्रदान करती है।
- **किंडरगार्टन छात्रों के लिए स्कूल संबंधी खर्चों के लिए सहायता (Grant-KG)** ऐसे जरूरतमंद किंडरगार्टन छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है जो साधन परीक्षा पास कर सकते हैं और केसीएफआर योजना के अंतर्गत समान पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, ताकि किंडरगार्टन शिक्षा योजना के अंतर्गत किंडरगार्टन शिक्षा के छात्रों द्वारा स्कूल संबंधी खर्चों का भुगतान किया जा सके।
- **स्कूल पाठ्यपुस्तक सहायता (TA) योजना** अनिवार्य पाठ्यपुस्तकों और स्कूल से संबंधित विविध खर्चों की लागत को कवर करने के लिए प्रत्येक सैब्सिडी योजना के तहत सरकारी, सहायता प्राप्त, प्रति व्यक्ति अनुदान वाले स्कूलों और स्थानीय स्कूलों में प्राइमरी 1 से सैकेंडरी 3/सैकेंडरी 6 के छात्रों को सहायता प्रदान करती है।
- **छात्र यात्रा सैब्सिडी (STS) योजना** औपचारिक प्राइमरी या सैकेंडरी शिक्षा प्राप्त करने वाले या प्रथम डिग्री स्तर तक स्वीकार्य संस्था में पूर्णकालिक दैनिक पाठ्यक्रम में जाने वाले, स्कूल से 10 मिनट से ज्यादा की दूरी पर रहनेवाले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्कूल जाने वाले जरूरतमंद छात्रों को यात्रा सैब्सिडी प्रदान करती है।

- **इंटरनेट पहुंच प्रबार हेतु योजना (SIA)** उन जरूरतमंद परिवारों को उनके बच्चों के लिए घर पर ई-शिक्षण के लिए इंटरनेट पहुंच प्रबारों की पुष्टि करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है जिनके बच्चे प्राइमरी या सैकेंडरी स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक छात्र हैं, या डिप्लोमा या जिन (DYJ) (जिसे 2016 से पूर्व या जिन डिप्लोमा (YJD) के तौर पर जाना जाता है) कार्यक्रमों या व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (VTC) के समकक्ष पाठ्यक्रमों में लगे रहने वाले पूर्णकालिक छात्र हैं। पात्र परिवारों को घरेलू आधार पर मूल दर के लिए नकद अनुदान प्राप्त होगा चाहे परिवार में बच्चों की संख्या कितनी भी हो।

आवेदन संबंधी प्रक्रियाएं

यदि परिवार 2020/21 स्कूल वर्ष के लिए छात्र वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने के इच्छुक हैं तो घरेलू आवेदन संबंधी दिशानिर्देश नोट के अनुसार आवेदन फॉर्म (SFO 106B या SFO 7B) पूर्ण करें और भरे हुए आवेदन फॉर्म को सभी आवश्यक सहायता दस्तावेजों के साथ सीधे एसएफओ को डाक में भेज दें। प्रत्येक परिवार को केवल एक आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। एक ही आवेदक से एकाधिक आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया का विवरण निम्नलिखित है -

(I) प्राइमरी और सैकेंडरी के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदनों पर लागू

| समय | प्रक्रियाएं |
|---|---|
| मई 2020 के अंत में या इससे पूर्व | आवेदकों को अनुपूरक फॉर्म (यदि लागू हो) और संबंधित सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ पूर्ण भरा हुआ आवेदन फॉर्म प्रदान किए गए संबोधित लिफाफे का उपयोग करते हुए एसएफओ को डाक से प्रस्तुत करना होता है। |
| उन आवेदकों के लिए उन्हें 2019/20 में स्कूल पाठ्यपुस्तक सहायता वितरित की जा चुकी है | |
| जुलाई/अगस्त 2020 के अंत में | यदि 31 मई 2020 को या उससे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों ने सहायक दस्तावेजों के साथ सभी आवश्यक जानकारी दी है, पात्रता मानदंड पूरा करते हैं और साधन परीक्षा पास करते हैं तो एसएफओ जुलाई/अगस्त 2020 के अंत में पात्र छात्रों को स्वचालित भूगतान द्वारा अल्पकालीन स्कूल पाठ्यपुस्तक सहायता और पात्र परिवारों को इंटरनेट पहुंच प्रबारों के लिए सब्सिडी जारी करेगा। एसएफओ आवेदकों को भी परिणाम* की अधिसूचना अगस्त 2020 के करीब जारी करेगा। "अपात्रता की अधिसूचना" उन परिवारों को जारी की जाएगी जो साधन परीक्षा को पास नहीं कर सकते; जो एसएफओ द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक पूरक जानकारी प्रदान करने में विफल रहे हैं; या जिन्होंने अपने आवेदन वापिस ले लिए हैं। |
| अक्टूबर 2020 के आरंभ से | उन छात्रों के लिए जिन्हें अंतिम टीए वितरित किया जा चुका है, एसएफओ नव स्कूल वर्ष के लिए जैसे ही पाठ्यपुस्तक अनुदान दरें उपलब्ध होती हैं (अक्टूबर 2020 के आसपास) सब्सिडी राशि की पुनर्गणना और निर्धारण करेगा जिसके लिए आवेदक पात्र हैं और आवेदकों को सब्सिडी की शेष राशि जारी करेगा या आवेदकों से उन्हें दी गई अधिक राशि की वसूली करेगा और अक्टूबर 2020 से आरंभ करते हुए छात्र-आवेदक की स्कूल संबंधी जानकारी की ईडीबी के डाटाबेस से जांच की जाएगी। |
| उन आवेदकों के लिए जिन्हें 2019/20 में स्कूल पाठ्यपुस्तक सहायता वितरित नहीं की गई है या जिनके 2020/21 में पी1 में जा रहे बच्चे थे | |
| अगस्त 2020 | यदि 31 मई 2020 को उससे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों ने सहायक दस्तावेजों के साथ सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की है तो एसएफओ अगस्त 2020 से आरंभ करते हुए पात्र आवेदकों को "परिणाम की अधिसूचना" *, छात्र-आधारित पात्रता प्रमाणपत्र (ईसी) और "वित्तीय सहायता योजनाओं" के लिए आवेदन संबंधी दिशानिर्देश नोट" जारी करेगा। "अपात्रता की अधिसूचना" उन परिवारों को जारी की जाएगी जो साधन परीक्षा को पास नहीं कर सकते; जो एसएफओ द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक पूरक जानकारी प्रदान करने में विफल रहे हैं; या जिन्होंने अपने आवेदन वापिस ले लिए हैं। |
| सितंबर 2020 | ईसी प्राप्त करने वाले आवेदकों को निजी जानकारी और ईसी पर पूर्व-मुद्रित चयनित योजना(ओं) की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। आवेदकों को संसाधित किए जाने हेतु पूर्ण किए हुए ईसी उस स्कूल को लौटा देने चाहिए जिसमें बच्चे स्कूल आरंभ होने की तारीख के बाद एक सप्ताह या ईसी के जारी किए जाने की तारीख से दो सप्ताह (जो भी बाद में हो) के भीतर आ रहे हैं। स्कूलों को छात्र-आवेदकों की स्थिति और उपस्थिति को प्रमाणित करना चाहिए और फिर ईसी एसएफओ को अर्गुषित करने चाहिए। साधारण तौर पर, एसएफओ समय सीमा के बाद जमा किए कोई भी ईसी स्वीकार नहीं करेगा। |

| | |
|-----------------------------|--|
| अक्टूबर 2020 या उसके बाद | लौटाए गए ईसी की जांच के बाद, एसएफओ उन छात्रों को <u>स्वचालित भुगतान द्वारा</u> वित्तीय सहायता जारी करेगा जिनकी उनके द्वारा आवेदन की गई संबंधित योजनाओं के लिए पात्र होने की पुष्टि की गई है। |
|-----------------------------|--|

*उन आवेदकों के लिए जिनके पास 2020/21 में प्री-प्राइमरी के छात्रों के लिए एक साथ वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले बच्चे हैं, एसएफओ पात्र परिवारों को एससी के साथ "परिणाम की अधिसूचना" जारी करेगा। विवरण के लिए, कृपया प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के लिए लागू आवेदन प्रक्रियाओं को देखें।

(ii) प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदनों पर लागू

| समय | प्रक्रियाएं |
|---|---|
| उन आवेदकों के लिए जिन्हें 2019/20 में केवल प्री-प्राइमरी के छात्रों (इनमें वो छात्र शामिल नहीं हैं जो 2020/21 में पी1 में जाएंगे) के लिए वित्तीय सहायता संवितरित की जा चुकी है | |
| जून 2020 में या इससे पूर्व | आवेदकों को "सामाजिक आवश्यकताएं" आकलन फॉर्म (यदि लागू हो) और संबंधित सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ पूर्ण भरा हुआ आवेदन फॉर्म प्रदान किए गए संबोधन लिफाफे का उपयोग करते हुए डाके द्वारा एसएफओ को प्रस्तुत करना होता है। |
| अगस्त 2020 या इसके बाद | यदि 30 जून 2020 या उससे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों ने सहायक दस्तावेजों के साथ सारी आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी है तो एसएफओ अगस्त 2020 से आरंभ करते हुए पात्र छात्र-आवेदकों को छात्र-आधारित स्कूल प्रमाणपत्र (एससी) के साथ "परिणाम की अधिसूचना" जारी करेगा। एससी केवल उन छात्र-आवेदकों के लिए लागू हैं जो 2020/21 स्कूल वर्ष में दूसरे स्कूल में स्थानांतरित होने जा रहे हैं, जिनकी कक्षा और सत्र पहले से मॉडिफाई फॉर्म से अलग हैं, या जो किसीएफआर योजना के लिए पहली बार आवेदन कर रहे हैं। ऐसे मामलों में, आवेदकों को 2020/21 के संसाधित किए जाने के लिए वर्तमान स्कूल को 31 अगस्त 2020 या एससी जारी होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर (जो भी बाद में हो) प्रस्तुत करने होंगे। |
| उन आवेदकों के लिए जिन्हें 2019/20 में प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता संवितरित नहीं की गई है | |
| जुलाई 2020 या इसके बाद | एसएफओ स्कूलों के माध्यम से संबंधित छात्रों को एससी के साथ "छात्र वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए घरेलू आवेदन फॉर्म" जारी करेगा और 1 अगस्त 2020 से आवेदन प्राप्त करना आरंभ करेगा। आवेदकों को पूर्ण भरे हुए आवेदन फॉर्म तथा शीघ्र डाक द्वारा सीधे एसएफओ को लौटा देने चाहिए और संसाधित किए जाने हेतु एससी को 2020/21 के लिए 31 अगस्त 2020 से पूर्व उपस्थायीन स्कूल में प्रस्तुत करना चाहिए। |

नोट

- यदि व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता (सीएसएसए) प्राप्त करने वाले परिवारों में फिलहाल प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों या किंडरगार्टन और अन्य निम्न कक्षा स्तरों में अध्ययन करने वाले बच्चे हैं तो उन्हें 2020/21 स्कूल वर्ष के लिए अपनी स्कूल फीस, परीक्षा फीस, पाठ्यपुस्तकों और स्टेशनरी पर व्यय, ट्रांसपोर्ट भाड़े, घर पर इंटरनेट पहुंच प्रभारों आदि के लिए स्कूल से संबंधित सहायता हेतु सीधे एसडब्ल्यूडी को आवेदन करना चाहिए। उन्हें एसएफओ को आवेदन प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।
- पेपर-आधारित प्री-प्रिटेड फॉर्म जमा करने के अलावा, 2020/21 स्कूल वर्ष से शुरू होकर, जारी रखने वाले आवेदक जिनको प्री-प्रिटेड फॉर्म जारी किए गए हैं और जिन्होंने पूर्ववर्ती स्कूल वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म (SFO 7B(E)) ऑनलाइन जमा किया है, वे ऑनलाइन पहले से भरे हुए इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म (SFO 107B(E)), (यानी कि प्री-प्रिटेड फॉर्म के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण) को डाउनलोड करके जमा करना चुन सकते हैं। इसके अलावा, कोई भी आवेदक अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म (SFO 7B(E)) का उपयोग कर सकते हैं। विवरण SFO की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (<https://www.wfsfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm>)। यदि आवेदकों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जमा किया है, तो उन्हें अलग से एसएफओ को कागजी रूप में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

- (iii) सामान्य परिस्थितियों (प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के अलावा) के अंतर्गत, एसएफओ 1 मार्च 2021 को या इसके बाद प्रस्तुत किए गए किसी भी "छात्र वित्तीय योजनाओं हेतु धरलू आवेदन" को स्वीकार नहीं करेगा। व्यक्तिगत वित्तीय सहायता योजनाओं के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध है -

| वित्तीय सहायता योजना | आवेदन के लिए अंतिम तारीख |
|---|---|
| किंडरगार्टन और बाल देखभाल केंद्र की फीस छूट (KCFR) योजना | आवेदकों को अपने आवेदन फॉर्म एसएफओ को 2020/2021 के स्कूल वर्ष में कक्षाओं की हाज़िरी पूरी होने से पूर्व या 15 अगस्त, 2021 से पूर्व (दोनों में से जो भी पहले हो), को प्रस्तुत कर देने चाहिए। अन्यथा, उनके द्वारा साधन परीक्षा पास कर सकने और पात्रता मानदंड पूरा करने पर भी फीस छूट आम तौर पर जारी नहीं की जाएगी। फीस छूट का प्रभावी माह वो माह होगा जिसमें आवेदकों द्वारा आवेदन फॉर्म प्रस्तुत किए जाने हैं, या वो माह जिसमें छात्र-आवेदकों को किंडरगार्टन/बाल देखभाल केंद्र में दाखिल किया जाना है, जो भी बाद में हो। |
| किंडरगार्टन छात्रों के लिए स्कूल संबंधी खर्चों के लिए सहायता (Grant-KG) | आवेदकों को अपने आवेदन फॉर्म एसएफओ को 2020/2021 के स्कूल वर्ष में कक्षाओं की हाज़िरी पूरी होने से पूर्व या 15 अगस्त, 2021 से पूर्व (दोनों में से जो भी पहले हो), को प्रस्तुत कर देने चाहिए। अन्यथा, आम तौर पर ग्रांट-केजी संवितरित नहीं किया जाएगा, भले ही वे साधन परीक्षा पास कर सकते हैं और पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। |
| स्कूल पाठ्यपुस्तक सहायता (TA) योजना | आवेदकों को अपने आवेदन फॉर्म एसएफओ को 31 अक्टूबर 2020 को या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देने चाहिए। अन्यथा, छात्र पाठ्यपुस्तक सहायता सामान्य तौर पर जारी नहीं की जाएगी यद्यपि आवेदक साधन परीक्षा पास कर सकते हैं और पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। |
| छात्र यात्रा सब्सिडी (STS) योजना | उन आवेदकों के लिए जिन्होंने 1 नवंबर 2020 को या इससे पूर्व अपने आवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं, साधन परीक्षा पास करते हैं और पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, सफल छात्र-आवेदकों को छात्र यात्रा सब्सिडी का भुगतान (यदि लागू हो) आवेदन प्राप्त होने की तारीख या छात्र-आवेदकों के स्कूल में दाखिले की तारीख (या पूर्व में जिन छात्रों को सीएसएसए प्राप्त हुई है उन छात्रों के लिए सीएसएसए रोकने की तारीख से) व्यक्तिगत मामलों की परिस्थितियों के आधार पर प्रभावी होगा। |
| इंटरनेट पहुंच प्रभारों हेतु सब्सिडी योजना (SIA) | उन आवेदकों के लिए जिन्होंने 1 फरवरी 2021 को या इससे पूर्व तारीख को अपने आवेदन फॉर्म प्रस्तुत किए हैं, एसआईए का आंशिक भुगतान सफल आवेदकों को किया जा सकता है बशर्तें आवेदक साधन परीक्षा को पास कर सकते हैं और पात्रता मानदंड पूरे करते हैं। |

- (iv) एसएफओ आवेदकों के हांगकांग के मोबाइल नंबरों के माध्यम से एसएमएस द्वारा या लिखित में (उन आवेदकों के लिए लागू जो हांगकांग का मोबाइल नंबर प्रदान करने में अक्षम हैं) आवेदन प्राप्ति की जानकारी देगा। यदि आवेदकों को उनके आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद 20 दिनों के भीतर एसएफओ से एसएमएस के द्वारा या लिखित में आवेदन की प्राप्ति की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वे गलत/विफल डिलीवरी के कारण आवेदन में विलंब से बचने के लिए यह पता लगाने के लिए कि उनके आवेदन एसएफओ को प्राप्त हुए भी हैं या नहीं, एसएफओ की पृष्ठताछ हॉटलाइन (2802 2345) पर कॉल करें।

साधन परीक्षा और सहायता के स्तर

- (i) एसएफओ छात्र वित्तीय सहायता और सहायता के स्तर हेतु परिवार की पात्रता का आकलन करने के लिए साधन परीक्षा के तौर पर "समायोजित पारिवारिक आय" (एसएआई) तंत्र का उपयोग करेगा। सूत्र निम्नानुसार है:

$$\text{एसएआई} = \frac{\text{परिवार की कुल वार्षिक आय}}{\text{परिवार के सदस्यों की संख्या} + (1)}$$

- (ii) परिवार की कुल वार्षिक आय में आवेदक और उसके पति/उसकी पत्नी की वार्षिक आय; परिवार के साथ रह रहे अविवाहित बच्चे की वार्षिक आय का 30% यदि लागू हो; और रिश्तेदारों/मित्रों का अंशदान यदि लागू हो, शामिल होता है।

- (iii) परिवार के सदस्यों सामान्य तौर पर आवेदक, उसकी पत्नी/उसके पति, परिवार के साथ रह रहे अविवाहित बच्चे/बच्चों और आश्रित माता-पिता जिनकी सहायता आवेदक द्वारा की जाती है और उसकी पत्नी/उसके पति का उल्लेख किया जाता है।
- (iv) 2 से 3 सदस्यों वाले एक ही माता या पिता वाले परिवारों में, एएफआई सूत्र के भाजक में "जमा 1 अंश" में बढ़ाकर 2 कर दिया जाएगा।
- (v) 2020/21 स्कूल वर्ष में विभिन्न स्तरों की सहायता के लिए एएफआई पात्रता के मानदंड नीचे तालिका में सूचीबद्ध हैं। कृपया नोट करें कि एएफआई परिवार की औसत मासिक आय नहीं है।

| स्कूल वर्ष 2020 / 21 - एएफआई समूह (HK\$) | सहायता का स्तर |
|--|--------------------------------|
| 0 – 41,568 | पूर्ण / पूर्ण छूट (100%) * |
| 41,569 – 80,378 # | आधा / ½ छूट (50%) |
| > 80,378 | अपात्र (आवेदन सफल नहीं हुए) |

* 3-सदस्यों और 4-सदस्यों वाले एक माता या पिता वाले परिवारों के लिए सहायता के पूर्ण स्तर हेतु एएफआई की सीमा रेखा 2020/21 स्कूल वर्ष के लिए क्रमशः \$50,323 और \$46,297 हैं। 2-सदस्यों और 3-सदस्यों वाले एक माता या पिता वाले परिवारों के लिए, सहायता के पूर्ण स्तर हेतु एएफआई तकी सीमा रेखा का निर्धारण करने और एएफआई की गणना करने हेतु उन्हें क्रमशः 3-सदस्यों और 4-सदस्यों वाला परिवार माना जाता है।

किंडरगार्टन और बाल देखभाल केंद्र की फीस छूट हेतु, सहायता का स्तर ¾ छूट (75%) है यदि परिवारों का एएफआई \$41,569 और \$50,919 के बीच है; और सहायता का स्तर आधी छूट (50%) है अगर एएफआई \$50,920 और \$80,378 के बीच है।

सब्सिडी जारी करना

- प्राइमरी और सेकेंडरी के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता हेतु, एसएफओ पात्र आवेदकों को स्वचालित भुगतान द्वारा वित्तीय सहायता संवितरित करेगा। (नोट: टीए और एसआईए की अंतिम राशि सामान्य तौर पर पात्र आवेदकों को जुलाई/अगस्त के अंत में आरंभ करके संवितरित की जाती है जबकि एसटीएस अक्टूबर के बाद से जारी किया जाता है। नए आवेदकों को सामान्य तौर पर अक्टूबर में या अक्टूबर के बाद सब्सिडी की राशि का संवितरण किया जाता है।)
- प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता हेतु, फीस छूट की अनुमोदित राशि को फीस छूट की राशि सहित परिणामों की सूचना जारी किए जाने के बाद 10 दिनों के भीतर ट्रेजरी द्वारा सीधे किंडरगार्टन/बाल देखभाल केंद्रों को दी जाएगी। आवेदकों को भुगतान की व्यवस्था फिर किंडरगार्टन/बाल देखभाल केंद्रों द्वारा की जाएगी। (नोट: एसएफओ सितंबर 2020 से आरंभ करते हुए समूहों में संबंधित स्कूलों के माध्यम से सफल आवेदकों को फीस छूट की राशि वितरित करेगा। इसके अलावा किंडरगार्टन के छात्रों के लिए स्कूल संबंधों खर्चों के लिए सहायता पात्रता प्राप्त आवेदकों के बैंक खाते में ऑटोपे के माध्यम से संवितरित किया जाएगा।)

पूछताछ

- वित्तीय सहायता योजनाओं और आवेदन प्रक्रियाओं से संबंधित पूछताछ के लिए, कृपया हमारी 24-घंटे खुली पूछताछ को 2802 2345 पर कॉल करें। यदि आवेदक हॉटलाइन पर कॉल करने के दौरान जातीय अल्पसंख्यक भाषा (भाषा इंडोनेशिया, हिंदी, नेपाली, पंजाबी, टैंगलॉग, थाई और उर्दू सहित) का प्रयोग करके आवेदन संबंधी मामलों के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, तो टेलीफोन लाइन कनेक्ट होने के बाद '4' दबाकर "अन्य भाषाएं" विकल्प का चयन करें। वैकल्पिक रूप से, अधिक जानकारी के लिए आवेदक एसएफओ का होमपेज (www.wfsfaa.gov.hk/sfo) देख सकते हैं।
- अंग्रेजी तथा जातीय अल्पसंख्यक भाषाओं में भाषांतर सेवाओं की आवश्यकता होने पर आवेदक दूरभाष से सेंटर फॉर हार्मोनी एंड एनहांसमेंट ऑफ एथनिक माइजॉरिटी रेसिडेंट्स (CHEER) से संपर्क कर सकते हैं। CHEER के हॉटलाइन नंबर नीचे दिए गए हैं –
भाषा इंडोनेशिया (3755 6811); हिंदी (3755 6877); नेपाली (3755 6822); पंजाबी (3755 6844); टैंगलॉग (3755 6855); थाई (3755 6866) और उर्दू (3755 6833)
CHEER की सेवाओं के बारे में अधिक विवरण के लिए आवेदकों को उनका होमपेज (<http://www.hks.org/en/services/cheer>) देखना चाहिए।